

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या – 2021/73

दायर दिनांक 29.11.2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ़ जिला चूरु
बनाम

–सायल–

सुभाषचंद सरावगी पुत्र महावीर प्रसाद सरावगी मैसर्स न्यू महावीर मिष्ठान भंडार,
राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास तारानगर, जिला चूरु।

–गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2
एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित – खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।

निर्णय

दिनांक 13.06.2022

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाइन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :-

1. यह कि मै फूल सिंह बाजिया कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एच/पीएफ/नोटीफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 व एफएसएसए/2020/750 दिनांक 06.10.2020 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चूरु में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते हैं। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.07.2021 को 12:30 पी.एम. पर मैसर्स न्यू महावीर मिष्ठान भंडार, राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास, तारानगर, जिला चूरु पर पहुंचा। वहां पर श्री महावीर प्रसाद सरावगी अपनी दुकान में 15 किलोग्राम पनीर एक डीप फ्रीज में बेचने हेतु रखा पाया गया। मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया श्री महावीर प्रसाद से पुछने पर बताया कि पनीर बनाकर ग्राहको को बेचने का कार्य करता हूं।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाहां के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री महावीर प्रसाद सरावगी को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह कि पनीर में मिलावट का शंका होने पर उसमें से 1 किलोग्राम पनीर एक साफ सुखा स्टील के बर्तन में वास्ते जांच नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री महावीर प्रसाद सरावगी को 230/-रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहां श्री सम्पत कुमार (प्रवर्तन निरीक्षक) एवं महेन्द्र कुमार (सीआई), पुलिस थाना रतनगढ़ के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा एक किलोग्राम पनीर को विक्रेता एवं गवाह को चार खाली साफ सुखी प्लास्टिक कि बोतलो को दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर 250-250 ग्राम मात्रा में डालकर प्लास्टिक बोतलों में परिरक्षक फोर्मलीन की 20-20 बूंदे डालकर बोतलो को ढकन्न लगाकर ऐयरटाईड बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने की बोतलो पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल-2679 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्लीप संख्या नमूना लेने वाले का नाम दिनांक स्थान व खाद्य पदार्थ की किस्म एवं परिरक्षक का नाम व मात्रा अंकित की लेबल पर विक्रेता एवं गवाहां के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये नमूना के चारो भागों को अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु

भाग पर डी ओ जिला चूरु की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल-2679 नियमानुसार नमूना के चारों बोटलों पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूने के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेपर पर गवाह के हस्ताक्षर करावें। नमूना के चारों भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म परिरक्षक की मात्रा अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता और गवाहान को पढा सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूने के एक भाग पर मुख्य विप्लेशक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफे में फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील मोहर कर सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनों का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पत्र अग्रेषण क्रमांक-296 दिनांक 30.07.2021 प्राप्त हुआ। जिसके साथ खाद्य विप्लेशक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./778/एक्ट/2021/811 दिनांक 22.07.2021 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर, सबस्टैण्डर्ड फूड होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
8. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/424 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

यह कि उक्त प्रकरण में महावीर प्रसाद सरावगी ने सबस्टैण्डर्ड पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री गोपीराम सिहाग ने वकालतनामा पेश किया। पेशी दिनांक 31.05.2022 को गैरसायल स्वयं उपस्थित होकर जुर्म स्वीकार किया तथा प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त करने का निवेदन किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ़ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ पनीर का सेम्पल नं. एल-2679 रिपोर्ट संख्या एल.एस./778/एक्ट/2021/811 दिनांक 22.07.2021 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ़ की बहस सुनी गई। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ पनीर की सेम्पल नं. एल-2679 रिपोर्ट संख्या एल.एस./778/एक्ट/2021/811 दिनांक 22.07.2021 से सबस्टैण्डर्ड (It does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर बेचने के कारण एवं उक्त कृत्य प्रथम बार होने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल सुभाषचंद सरावगी पुत्र महावीर प्रसाद सरावगी मैसर्स न्यू महावीर मिष्ठान भंडार राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल

परिवाद संख्या 2021/73
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम सुभाषचंद सरावगी

के पास तारानगर, जिला चूरु को 4,00,000/- रुपये (चार लाख रुपये मात्र), की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायल को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड-0210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियों, (03)- खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायलान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। अभिहित अधिकारी चूरु मुख्यालय रतनगढ़ सीज माल का निस्तारण नियमानुसार करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



13/6
(लोकेश कुमार गौतम)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरु
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, चूरु